



दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: प्लेक्स/सर्किल/1114

दिनांक: 03.03.2025

प्रति

प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य/

सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: शिपिंग बिलों के विवरण कॉलम में स्थान की कमी के कारण अग्रिम प्राधिकरण को बंद करने में कठिनाई के संबंध में

संदर्भ: व्यापार सूचना संख्या 32/2024-25 दिनांक 28.02.2025

यह उपर्युक्त विषय को संदर्भित करता है। हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि निदेशालय के संज्ञान में आया है कि निर्यातकों को ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से एए को बंद करने की प्रक्रिया में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये समस्याएँ निर्यात चालान के अनुसार निर्यात वस्तुओं का पूरा विवरण प्राप्त करने में सिस्टम की अक्षमता के कारण हैं। 120 अक्षरों से अधिक के आइटम विवरण शिपिंग बिलों में पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं हो सकते हैं। ऐसे मामलों में, आरए द्वारा एफटीपी 2023 के पैरा 4.42 (iii) के गैर-अनुपालन के लिए कमियों को उठाया जाता है।

इसलिए, यह निर्देश दिया जाता है कि जब भी ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, तो आरए निर्यात वस्तु के पूर्ण विवरण को सत्यापित कर सकते हैं और जीएसटी प्रणाली द्वारा उत्पन्न ई-चालान की स्व-सत्यापित प्रतियों के आधार पर इन मामलों पर निर्णय ले सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, ऐसे मामलों में, अग्रिम प्राधिकरणों के मोचन/ईओडीसी के लिए उपर्युक्त दस्तावेजों को अन्य सभी निर्धारित दस्तावेजों के साथ अपलोड किया जा सकता है।

कृपया अपने संदर्भ हेतु उक्त व्यापार सूचना संलग्न पाएं।

सादर,

भारती पारवे

उप निदेशक - व्यापार और नीति

प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद